



## Meticulous Investigation & Prosecution



### BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में चोरी की घटना कारित करने के आरोपी सचिन को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 माह का कारावास व 4000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सचिन पुत्र सलेकचन्द निवासी मौ0 मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा चोरी करने की घटना कारित की गयी थीं जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 189/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 11.02.2026 को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सचिन को दोषी पाते हुए 02 माह के कारावास व 4000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 11.02.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान हिस्ट्रीशीटर 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान हिस्ट्रीशीटर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0स0-32/26 धारा- 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**महत्वपूर्ण सूचना:-** बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**


1. सचिन उर्फ डाकू पुत्र शिवकुमार उर्फ गूंगा निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जपनद बागपत।

### **बरामदगी का विवरण-**

- 01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा करातूस .12 बोर

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-उ0नि0 महेन्द्र सिंह थाना छपरौली जिला बागपत।
2. है0का 888 कमल सिंह थाना छपरौली जिला बागपत।
3. है0का01110 सुबोध कुमार थाना छपरौली जिला बागपत।
4. का0 594 सरफराज थाना छपरौली जिला बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 11.02.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 92/26 धारा 292/125/109(1)/118(1) BNS व धारा 30 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लाइसेंसी बंदूक दो नली व 14 जिंदा कारतूस .12 बोर मय पेटी व 01 खोखा कारतूस .12 बोर बरामद ।

#### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.02.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त संतपाल पुत्र राजेन्द्र निवासी खट्टा प्रहलाद पुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत हाल निवासी मौ0 ठाकुरद्वारा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा शराब पीकर अपने



आस पडोस के लोगों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा अपनी लाइसेंसी बंदूक से उसकी लड़की पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें उसकी लड़की घायल हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत मु0अ0सं0 92/26 धारा 292/125/109(1)/118(1) BNS व धारा 30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 92/26 धारा 292/125/109(1)/118(1) BNS व धारा 30 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 लाइसेंसी बंदूक दो नली व 14 जिंदा कारतूस .12 बोर मय पेटी व 01 खोखा कारतूस .12 बोर बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संतपाल पुत्र राजेन्द्र निवासी मौ० ठाकुरद्वारा करबा व थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत मूल निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत उम्र करीब 40 वर्ष।

### बरामदगी का विवरण

- 01 लाइसेंसी बंदूक दो नली व 14 जिंदा कारतूस .12 बोर मय पेटी व 01 खोखा कारतूस .12 बोर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2- है०का० 281 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3- का० 369 विशाल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 11.02.2026

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0

35/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**महत्वपूर्ण सूचना:-** बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशीष पुत्र सोमपाल सिंह निवासी ग्राम कान्हड थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 40 वर्ष।

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।



## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत
- 2-म०उ०नि० नीरज चौधरी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 289 शैलेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक- 11.02.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 535/2023 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से ग्राम बली से चोरी की हुई मोटरसाईकिल बरामद ।

## संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30-06-2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अमित कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बली थाना व जिला बागपत ने प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात चोर द्वारा आवेदक की मोटर साईकिल नं० DL5SV8580 को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 535/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

## कार्यवाही

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 535/2023 धारा 379



भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से ग्राम बली से चोरी की हुई मोटरसाईकिल बरामद हुई है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1-सन्दीप पुत्र झण्डु निवासी ग्राम निनाना थाना कोतवाली वागपत जिला बागपत उम्र करीब 29 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण-**

- चोरी की हुई मोटरसाईकिल नं0 DL5SV8580

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 333 नितेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

